सं0 431/V-श0वि0–05–298(सा0)/05

प्रेषक,

सुब्रत विश्वास,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः 13 जनवरी, 2006

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09–11–2005 को देहरादून में की गयी घोषणा "देहरादून में यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु सड़कों का निर्माण" के कियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून शहर के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के सुधार हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु रू0–379.90 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–322.35 लाख (रूपये तीन करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था यमुना निर्माण खण्ड–प्रथम, सिंचाई विभाग, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा।

3– स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेजरूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

अवस्थापना विभाग

6– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निगम के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31–03–06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

7– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार,प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।

8– निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।

10– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

11– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

13– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलबध करा दिया जाये।

17– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और उक्त तिथि तक प्रस्तर–13 का विवरण भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक उक्त धनराशि का उपयोग नही होता है तो समस्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

18- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीषर्क-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास -05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-15/XXVII(2)/2005,दिनांक-12 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।

सं0 436(1)/V-श0वि0-05,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
4- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
5- अधिशासी अभियन्ता, यमुना निर्माण खण्ड-प्रथम, देहरादून।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को उनके पत्र संख्या 982/XXXV-4-181-घो0/2005 देहरादून दिनांक 22-11-2005 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा को पूर्ण मान लिया जाय।
8- अपर सचिव, लो0नि0वि0, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त घोषणा लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गयी है, जोकि मुख्य सचिव महोदय के आदेश से शहरी विकास विभाग द्वारा पूर्ण की जा रही है।
9- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 4361 / V / श0वि0–05–298(सा0) / 05
दिनांक 13 जनवरी, 2006 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख में)

कम स0	प्रस्वावित योजनाओं / कार्यों का नाम	प्रेषित आगणन की लागत	टी0ए0सी द्वारा स्वीकृत / व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
1–	इंजीनियर्स एनक्लेव में मेन रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	125.73	111.00
2–	शांति विहार माजरा, ओबेराय मोटर्स के सामने सड़क निर्माण कार्य	11.99	10.20
3–	शांतिकुंज इंजीनियर्स एनक्लेव तारा एकेडमी के सामने सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	4.17	3.72
4–	राज एनक्लेव कालोनी निरंजनपुर में सड़क का निर्माण कार्य	3.16	2.70
5–	विष्णु विहार,कांवली रोड पर सडक निर्माण कार्य	3.16	2.70
6–	उत्सव विहार कांवली रोड पर सडक निर्माण कार्य	4.51	3.80
7–	अलकनंदा एन्कलेव जी0एम.0एस रोड पर सडक निर्माण कार्य	9.74	8.28
8–	शान्ति विहार इंजीनियर्य एन्कलेव के सामने सडक एवं नाली का निर्माण कार्य	10.17	8.25
9–	द्वारिकापुरी में शहीद थापा मार्ग पर सडक एव नाली का निर्माण कार्य	8.32	6.72
10–	केशव विहार जी0एम0एस रोड पर सडक निर्माण कार्य	7.23	6.10
11–	व्योमप्रस्थ में सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	19.99	17.60
12–	पीपल पेड ब्राहमणवाला में सडक निर्माण कार्य	15.46	12.50
13–	सुभाषनगर में कृष्णा मार्किट रोड पर कपिल स्ट्रीट में सडक एवं नाली निर्माण कार्य	3.62	2.92
14–	बैल रोड सुभाष नगर में ग्राफिक ऐरा संस्थान के सामने सडक निर्माण कार्य	2.26	1.90
15–	मेघ एन्कलेव में सडक एवं नाली निर्माण कार्य	11.89	9.50
16–	इन्द्रेश एन्कलेव में सडक निर्माण कार्य।	3.76	3.19
17–	आसिमा विहार फेस –2 में सडक निर्माण कार्य।	14.98	12.73
18–	इन्दिरा गाधी मार्ग पर नाली का निर्माण कार्य	14.80	14.24
19–	इन्दिरापुरम फेस–1 में शेष सडकों का निर्माण कार्य	6.83	6.00
20–	द्रोणपुरी जी0एम0एस रोड पर सडक निर्माण कार्य	16.12	13.70
21–	ग्रामसभा कंडोली (कंसवली से तरली कंडोली)में सडक निर्माण कार्य	48.79	36.60
22–	ग्रामसभा बिधोली में सडक निर्माण कार्य	24.77	20.70
23–	अम्बीवाला गुरूद्वारा के सामने की ओर बद्रीश कालोनी में श्री प्याल जी के घर तक सडक निर्माण कार्य	8.45	7.30
	कुल योग –	379.90	322.35

(रूपये तीन करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार मात्र)